संख्या–1451/XXX/(2)/2010

प्रेषक,

दिलीप कुमार कोटिया
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन

2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराण्ड शासन।

3– मण्डलायुक्त
गढ़वाल/कुमायूँ

4. समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर, 2010

विषयः–विभागीय पदोन्नति के समय विलोपित प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रभाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पदोन्नति के समय कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकित श्रेणियाँ यथा–उत्कृष्ट, अतिउत्तम, उत्तम, अच्छा/संतोषजनक, प्रतिकूल प्रविष्टि के आधार पर पदोन्नति हेतु कार्मिकों की प्रविष्टि का आंकलन करने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–1 के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या–13/15/91–का–1/1993, दिनांक 20 अगस्त, 1993 के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिस वर्ष की प्रविष्टि उपलब्ध न हो, उसे ब्लैंक पढ़ा जाय। समय–समय पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में अंकित प्रतिकूल प्रविष्टि पूर्णतः अथवा अंशतः विलुप्त तो कर दी जाती है, किन्तु तद्क्रम में प्रविष्टि का नये सिरे से अंकन नहीं कराया जाता अथवा आंशिक उपलब्ध/अवशेष प्रविष्टि में श्रेणी अंकित नहीं होती है। शासन द्वारा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण पदोन्नति के अवसर पर विलोपित प्रविष्टियों के सम्बन्ध में मूल्यांकन सम्बंधी संशय बना रहता है।

2– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी कार्मिक की किसी वर्ष की प्रविष्टि प्रतिकूल हो किन्तु बाद में उस प्रतिकूल प्रविष्टि को नियमानुसार पूर्णतः/अंशतः विलोपित कर दिया गया हो और ऐसी विलोपित प्रविष्टि के स्थान पर नवीन प्रविष्टि अंकित न कराई गई हो अथवा अंशतः उपलब्ध प्रविष्टि में कोई श्रेणी भी अंकित न हो तो उस स्थिति में उस वर्ष/वर्षों की प्रविष्टि/प्रविष्टियाँ जिस वर्ष में प्रविष्टि विलोपित कर दी गयी हो, छोड़कर जितने वर्ष की प्रविष्टि विलोपित की गयी है, उतने वर्ष के पीछे की प्रविष्टियों को पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में रखते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी। उदाहरण के लिए यदि चयन वर्ष 2010–11 में प्रस्तावित चयन में पात्रता सूची में सम्मिलित किसी कार्मिक की वर्ष 2005–06 की प्रतिकूल प्रविष्टि विलोपित की गयी हो किन्तु अंशतः उपलब्ध प्रविष्टि में श्रेणी अंकित न हो तथा उसकी पदोन्नति के लिए वर्ष 2000–2001 और उसके बाद की प्रविष्टियों पर विचार किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में उस कार्मिक की वर्ष 2005–06 के स्थान पर वर्ष 1999–2000 की प्रविष्टि को भी पदोन्नति हेतु विचार क्षेत्र में रखा जायेगा।

3– कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव

Scanned by CamScanner